

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No---

Dated--13-03-2015

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.708 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Motor Road from Km. 1 of Mahavidhyalaya Talwari to Government Inter Collage Talwari. in Chamoli district falls within jurisdiction of G.I.C. Talwari village (s) in Tharali tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.708 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communitis, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Sri Ashok Kumar I.A.S deputy commissioner, on dated 13.03.2015 at time 17.00 Hrs. at Chamoli in which application claiming rights in G.I.C. Talwari area measuring 0.708 hect for the Construction of Motor Road from Km. 1 of Mahavidhyalaya Talwari to Government Inter Collage Talwari. forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; G. P. S. Talwari

Dated: 13.03.2015

अ
जिला अधिकारी

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :- राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के किमी 0 1 से राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी हेतु 800 मी 0 लम्बाई में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.708 हे 0 सिविल, 0.708 हे 0 वन पंचायत, कुल 0.708 हे 0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, थराली

उपखण्ड 0.708 थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.708 हे 0 (हे 0 आरक्षित वन भूमि, 0.708 हे 0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.708 हे 0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.708 हे 0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक 11/3/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री 0.708 0.708, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री 0.708 0.708 उपजिलाधिकारी 0.708 अध्यक्ष

2- श्री 0.708 0.708 उप प्रभागीय वनाधिकारी 0.708 सदस्य

3- श्री 0.708 0.708 सहायक समाज कल्याण अधिकारी 0.708 सदस्य

4- श्री 0.708 0.708 बी 0 डी 0 सी 0 क्षेत्र 0.708 सदस्य

5- श्री 0.708 0.708 बी 0 डी 0 सी 0 क्षेत्र 0.708 सदस्य

6- श्री 0.708 0.708 बी 0 डी 0 सी 0 क्षेत्र 0.708 सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया किराजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के किमी 0 1 से राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी हेतु 800 मी 0 लम्बाई में मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 0.708 हे 0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ~~तहसील थराली~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के किमी 0 1 से राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी हेतु 800 मी 0 लम्बाई में मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु ~~0 400~~ हे 0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

~~उप जिलाधिकारी~~
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - थराली
जनपद - चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

~~उप जिलाधिकारी~~
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - थराली
जनपद - चमोली

परियोजना का नाम :- राजकीय महाविद्यालय तलवाडी के किमी० १ से राजकीय इंटर कॉलेज तलवाडी हेतु ८०० मी० लम्बाई में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.७०८ हे० सिविल, कुल ०.७०८ हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ग्राम पंचायत का नाम तलवाडी स्टेट

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तलवाडी स्टेट द्वारा दिनांक.....

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान / सरपंच



Attachement 1.6 (D)

दिनांक 27/01/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत तलवाडी स्टेट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	रविचन्द्र सिंह रावत अध्यक्ष ग्राम पंचायत तलवाडी	[Signature]
2.	गोपालचन्द्र फाल्गुन (पूर्व प्रधान तलवाडी स्टेट)	[Signature]
3.	विमलचन्द्र शर्मा सदस्य ग्राम पंचायत तलवाडी विजयपुर	[Signature]
4.	इन्द्र सिंह फाल्गुन (उप प्रधान तलवाडी स्टेट)	[Signature]
5.	शंकर राव (अध्यक्ष अ.वि. संघ तलवाडी स्टेट)	
6.	बलवीर सिंह बिष्ट तलवाडी स्टेट	[Signature]
7.	आनन्द सिंह बिष्ट	[Signature]
8.	SHAKHAT SINGH CHANWAN	[Signature]
9.	विमलचन्द्र सिंह रावत	[Signature]
10.	कै.पी.सती राजेश्वर सिंह चं	[Signature]
11.	राजेश्वर सिंह चिवाण	[Signature]
12.	अवतार सिंह	[Signature]
13.	धीरेन्द्र सिंह	[Signature]
14.		
15.		

ह0/-
ग्राम प्रधान

